रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2013/ज्येष्ठ 8, 1935

No. 260] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2013/JYAISTHA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 जनवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 344(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (अब इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) में से मौजूदा परंतुक हटा दिया जाएगा।

3. अनुसूची 1 में संशोधन

मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के संलग्नक बी में मौजूदा क्रमांक 17 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

17	**परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ**		
17.1	'परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी' (ARC) का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है ।	परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी की प्रदत्त पूँजी का 74% { प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश (FDI & FII) }	सरकारी

17.2	**अन्य शर्तें:**
	(i) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की पूँजी में केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है । ऐसे निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति के ही होने चाहिए ।
	(ii) किसी भी प्रवर्तक को परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी की 50% से अधिक शेयरधारिता की अनुमति नहीं होगी चाहे वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मार्फत हो अथवा विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में हो। परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी में विदेशी निवेश प्रवेश मार्ग संबंधी शर्तों और सेक्टोरेल कैप के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक की कुल शेयरधारिता परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी के 10% से अधिक नहीं होगी ।
	(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकत विदेशी संस्थागत निवेशक रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश कर सकते हैं । विदेशी संस्थागत निवेशक परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत मूल्य के 74% तक निवेश कर सकते हैं।
	(iv) 10% से अधिक का कोई एकल निवेश वित्तीय परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 3 (3) (एफ) के परंतुक के अधीन होगा ।

4. अनुसूची 5 में संशोधन

पैराग्राफ 1 में मौजूदा खंड (ई) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

" (ई) परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें बशर्ते सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की समग्र कुल शेयरधारिता परिसंपति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत मूल्य के 74% से अधिक नहीं होगी ।"

[सं. फेमा. 254/2013-आर बी]
रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :–

मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(ई) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

02.03.2001 के जीएसआर सं.158 (ई)
13.03.2001 के जीएसआर सं.175 (ई)
14.03.2001 के जीएसआर सं.182 (ई)
02.01.2002 के जीएसआर सं.4 (ई)
19.08.2002 के जीएसआर सं.574 (ई)
18.03.2003 के जीएसआर सं.223 (ई)
18.03.2003 के जीएसआर सं.225(ई)
22.07.2003 के जीएसआर सं.558 (ई)
23.10.2003 के जीएसआर सं.835 (ई)
22.11.2003 के जीएसआर सं.899 (ई)
07.01.2004 के जीएसआर सं.12 (ई)
23.04.2004 के जीएसआर सं.278 (ई)
16.07.2004 के जीएसआर सं.454 (ई)
21.09.2004 के जीएसआर सं.625 (ई)
08.12.2004 के जीएसआर सं.799 (ई)
01.04.2005 के जीएसआर सं.201 (ई)
01.04.2005 के जीएसआर सं.202 (ई)
25.07.2005 के जीएसआर सं.504 (ई)
25.07.2005 के जीएसआर सं.505 (ई)
29.07.2005 के जीएसआर सं.513 (ई)
22.12.2005 के जीएसआर सं.738 (ई)
19.01.2006 के जीएसआर सं.29 (ई)
11.07.2006 के जीएसआर सं.413(ई)
14.11.2007 के जीएसआर सं.712 (ई)
14.11.2007 के जीएसआर सं.713 (ई)
29.11.2007 के जीएसआर सं.737 (ई)
05.08.2008 के जीएसआर सं.575 (ई)
30.12.2008 के जीएसआर सं.896 (ई)
01.12.2009 के जीएसआर सं.851 (ई)
21.04.2010 के जीएसआर सं.341 (ई)
03.08.2012 के जीएसआर सं.606 (ई)
10.12.2012 के जीएसआर सं.821 (ई)
30.10.2012 के जीएसआर सं.796 (ई)
30.10.2012 के जीएसआर सं.797 (ई)
---------- के जीएसआर सं.----- (ई)
30.10.2012 के जीएसआर सं.795 (ई)
---------- के जीएसआर सं.----- (ई)
---------- के जीएसआर सं.----- (ई)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 344(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 3, 2000) (herinafter called "Principal Regulations") namely :—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Regulation 5, in sub-regulation 2, the existing proviso shall be deleted.

3. Amendment of Schedule 1

The existing entry 17 in Annex B to Schedule 1 to the Principal Regulations shall be substituted with the following:

17	**Asset Reconstruction Companies**		
17.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).	74% of paid-up capital of ARC (FDI & FII)	Government
17.2	**Other conditions:**		
	(i) Persons resident outside India, can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs) registered with Reserve Bank only under the Government Route. Such investments have to be strictly in the nature of FDI. (ii) No sponsor shall be permitted to hold more than 50% of the shareholding in an ARC either by way of FDI or by routing through an FII. The foreign investment in ARCs are required to comply with entry route conditionality and sectoral caps. However, the total shareholding of an individual FII shall not exceed 10% of the total paid-up capital of the ARC. (iii) FIIs registered with SEBI can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs registered with Reserve Bank. FIIs can invest up to 74% of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the ARCs. (iv) Any individual investment of more than 10% would be subject to provisions of section 3(3) (f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.		

4. Amendment to Schedule 5

In Paragraph 1, the existing clause (e) shall be substituted as under:

"(e) Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies provided that the

total holdings of all FIIs put together shall not exceed 74% of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies;"

[No. FEMA. 254/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note :—

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No.821(E) dated 10.12.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No._____ dated _____
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No._____ dated _____
G.S.R.No._____ dated _____.

2407 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.